कृपया प्रकाशनार्थ - **10 अक्टूबर 2009**

मनसे के शिरीष पारकर के खिलाफ अपराध दर्ज

मुंबई, शनिवार :मनसे के प्रवक्ता श्री. शिरीष पारकर ने ज्येष्ठ भाजपा नेता श्री राम नाईक के बारे में किए बेबुनियाद वक्तव्य को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है, इतनाही नही तो उनके खिलाफ पुलीस ने अपराध दर्ज किया है.

मनसे के प्रवक्ता तथा विलेपार्ले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार श्री. शिरीष पारकर ने ‘आयबीएन लोकमत’ इस मराठी चैनल के ‘आजचा सवाल’ कार्यक्रम में बोलते वक्त कह दिया कि हर तीन महिने के बाद श्री. राम नाईक को खून बदलना पडता है और वें ‘मराठी से नफरत करते है’. श्री पारकर के इतने गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य के कारण भाजपा कार्यकर्ता तथा श्री राम नाईक को चाहनेवाले सभी दुःखी हुए. किंतु श्री नाईक ने संयम रखते हुए चुनाव आयोग के पास इस बात की शिकायत दर्ज की.

चुनाव के दौरान उम्मीदवार ने निजी तथा झूठे आरोप / वक्तव्य नही करना चाहीए ऐसा चुनाव की आचार संहिता में स्पष्ट रुप से कहा गया है. अपने पुरे जीवन में श्री राम नाईक पर एक बार भी खून बदलने की नौबत नही आयी फिर भी श्री पारकर ने ऐसा वक्तव्य करना उनकी हीन अभिरुची दिखाता है. समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर समाजसेवा करनेवाले श्री राम नाईक को ‘मराठी से नफरत करनेवाला’ कहना भी दुःखद है. इसिलिए श्री राम नाईक ने 2 अक्टूबर को चुनाव आयोग के पास श्री पारकर के खिलाफ आचार संहिता भंग करने की शिकायत की और कार्यक्रम की सीडी भी दी.

इस शिकायत के बाद विलेपार्ले विधानसभा के चुनाव अधिकारी श्री तानाजी शिंदे ने विलेपार्ले पुलीस थाने को कानूनन कारवाई का आदेश दिया. इस आदेश के अनुसार श्री शिरीष पारकर के खिलाफ भा.द.वि.के. 188 के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसमे उन्हे एक महिने तक जेल जाना पड सकता है.

इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्री राम नाईक ने कहा,"चुनाव में एक दुसरे के खिलाफ लडते वक्त सभ्यता की अपेक्षा होती है. वैसे तो इस चुनाव में मैं उम्मीदवार भी नही. फिर भी मनसे प्रवक्ता किस हद तक निचे गिर सकते है यह देखकर मतदाता भी सही कारवाई करेंगे. महाराष्ट्र में भेद की राजनीती करनेवाली ‘मनसे’ को मतदाता मुँहतोड जबाब देंगे और भाजपा-शिवसेना युती को जिताएंगे".

(कार्यालय मंत्री)

संलग्न : चुनाव आयोग का पत्र

१६७ विलेपार्ले विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यालय

न्यु एअर पोर्ट कॉलनी, कम्युनिटी हॉल, पश्चिम द्रुतगती मार्ग विलेपार्ले पूर्व

मुंबई ४०० ०९९ दूरध्वनी क्र.२८३८४४४२

क्र.निनिअ/१६७ विलेपार्ले/२

दिनांक: ०९.१०.२

प्रति

मा.श्री. राम नाईक

९, शिवस्मृती, ५१ जयप्रकाश नगर

गोरेगाव पूर्व, मुंबई ४०० ०६३.

विषय: विलेपार्ले विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार श्री. शिरीष पारकर यांच्याविरुध्द आचारसंहिता भंग केल्याबद्दलची तक्रार

संदर्भ: आपले २.१०.२००९ व ५.१०.२००९ चे पत्र

महोदय,

कृपया २ ऑक्टोबर व ५ ऑक्टोबर २००९ चे उपरोक्त विषयासंदर्भातील पत्र आपल्या तक्रारीनंतर श्री. शिरीष पारकर यांना पत्र लिहून त्यांचा लेखी खुलासा दि.३.१०. रोजी मागितला होता व तो दि.५.१०.२००९ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झाला. दि.७.१०.२००९ रोजी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, विलेपार्ले पोलीस ठाणे यांना प्रस्तुत वि अनुषंगाने निवडणूक कायद्याच्या तरतुदीनुसार योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास स आले. त्यानुसार वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, विलेपार्ले पोलीस ठाण्याने दि.९.१०.२००९ भा.द.वि. कलम १८८ अनुसार श्री शिरीष पारकर यांचे विरोधात केस नोंदविण्यात आली अ

आपल्या माहितीसाठी अग्रेषित.

कळावे,

9/10

निवडणूक निर्णय अधिकारी

१६७ विलेपार्ले विधानसभा मत

श्री. राम नाईक

का जनसंपर्क कार्यालय-मुंबई

10 OCT 2009

Office of

Shri Ram Naik - Mumbai